भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2590
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना की समीक्षा

2590. श्री संजय जाधव:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) को औपचारिक रूप से अनुमोदित करने की योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं तथा तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए पीएमएफएमई शुरू किया गया था और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएमएफएमई की शुरूआत और कार्यान्वयन के बाद से अब तक सरकार के समक्ष आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(च) पीएमएफएमई योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या का विशेष रूप से महाराष्ट्र में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त योजना के लाभार्थियों में से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है; और

(ज) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक आयोजित किए गए कार्यशालाओं/सत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित " प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना " लागू कर रहा है। । यह योजना10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए चालू है । योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।

योजना का उद्देश्य ऋण तक पहुंच में वृद्धि, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण, सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों को मजबूत करने, अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में है ।

(ग) से (ङ): पूरे देश में पीएमएफएमई योजना के तहत 30 नवंबर 2023 तक हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण अनुबंध- II में है। पीएमएफएमई योजना के तहत विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

- योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के तहत 10806 ऋण स्वीकृत। जिलेवार विवरण अनुबंध-III पर है।
- 30548 एसएचजी सदस्यों को 109.39 करोड़ रुपये प्रारम्भिक पूंजी राशि जारी की गई।
- 15256 लाभार्थियों को खाद्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पर प्रशिक्षित किया गया।
- मार्केटिंग और ब्रांडिंग घटक के तहत 2 परियोजनाएं स्वीकृत।

पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, ऋण देने वाले बैंकों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती/समीक्षा बैठकों के माध्यम से चर्चा और समाधान किया जाता है।

(च) और (छ): पीएमएफएमई योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** में हैं । इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को सहायता की परिकल्पना की गई है।

(ज): पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में योजना के तहत लाभ लेने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अब तक 2190 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**प्रशिक्षु का प्रकार**	**नंबर**
1	मास्टर ट्रेनर (एमटी)	526
2	जिला स्तरीय प्रशिक्षक (डीएलटी)	1,058
3	जिला रेसोर्स पर्सन (डीआरपी)	1941
4	लाभार्थी	54,767

*****

अनुबंध- I

"पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के बारे में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति यूनिट;

(ii) प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए अधिकतम 4 लाख रु. प्रति एसएचजी फेडरेशन के अधीन खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के सदस्यो को 40,000/-रुपये प्रति सदस्य की दर से प्रारम्भिक पूंजी।

(iii) सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सहायता: सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये रु. के अधीन एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी का समर्थन करने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी । सामान्य बुनियादी ढाँचा की क्षमता का बड़ा हिस्सा अन्य इकाइयों और जनता के लिए किराये के आधार पर उपयोग करने के लिए भी उपलब्ध होगा।

(iv) ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक का अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम संशोधित किया गया ।

अनुबंध II

"पीएमएफएमई योजना की समीक्षा" के बारे में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30 नवंबर, 2023 तक योजना के तहत प्राप्त परिणाम/उपलब्धियों का विवरण:

1. सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त की है, राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति और जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
2. 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामांकित 42 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान (एसएलटीआई) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ।
3. 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 713 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की सिफारिश की।
4. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 62,282 ऋण स्वीकृत।
5. 2,36,704 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए 771.12 करोड़ रुपये प्रारम्भिक पूंजी राशि जारी की गई , जिनमें से लगभग 1 लाख एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी की घोषणा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी।
6. इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 205.95 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 76 इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई है ।
7. नेफड़ के साथ राष्ट्रीय गठजोड़ किया गया है और योजना के तहत 14 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 9 राज्यों के11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पंजाब (आसना), महाराष्ट्र (भीमथडी), कर्नाटक (सीमी और भीमा), आंध्र प्रदेश (मदुगुला हलवा और आमोदम), महाराष्ट्र (उम्मेद), सिक्किम (टेमी चाय), तमिलनाडु (पुधुगई ऑर्गेनिक्स), बिहार (जीविका), पुडुचेरी (नीथल) शामिल हैं।
8. 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 526 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया; 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 1,058 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को ओडीओपी और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) पर प्रशिक्षित किया गया। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 54,767 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
9. 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,801 जिला रेसोर्स पर्सन (डीआरपी) को नियुक्त किया गया और 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1941 डीआरपी को ओडीओपी और ईडीपी के तहत प्रशिक्षित किया गया।
10. निफ्टेम्स ने प्रशिक्षण मॉड्यूल (ओडीओपी) तैयार किए हैं जिन्हें एमओएफ़पीआई और निफ़टेमस वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इनमें ओडीओपी पर 760 प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं जिनमें 190 प्रस्तुतियाँ, 190 वीडियो, 190 डीपीआर और 190 पाठ्यक्रम सामग्री/हैंडबुक शामिल हैं।
11. एमओएफ़पीआई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफ़एसएसएआई), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), जनजातीय मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफ़डीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफ़डीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, पीएमएफएमई के साथ कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के अभिसरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए।

अनुबंध III

"पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के बारे में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएफएमई स्कीम के तहत महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत की गई जिलेवार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अन्य उपब्धियां

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत की गई (संख्या)
1	अहमदनगर	540
2	अकोला	169
3	अमरावती	406
4	बीड	63
5	भंडारा	216
6	बुलढाना	381
7	चंद्रपुर	400
8	छत्रपति संभाजीनगर	986
9	धाराशिव	216
10	धुले	220
11	गडचिरोली	183
12	गोंदिया	296
13	हिंगोली	53
14	जलगांव	492
15	जलना	131
16	कोल्हापुर	359
17	लातूर	188
18	मुंबई	1
19	मुंबई उपनगर	33
20	नागपुर	422
21	नांदेड़	150
22	नंदुरबार	320
23	नासिक	543
24	पालघर	161
25	परभनी	116
26	पुणे	584
27	रायगढ़	151
28	रत्नागिरि	220
29	सांगली	551
30	सतारा	500
31	सिंधुदुर्ग	257
32	सोलापुर	437
33	ठाणे	200
34	वर्धा	361
35	वाशिम	170
36	यवतमाल	330
	कुल योग	**10806**

अनुबंध IV

"पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के बारे में दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का राज्यवार विवरण

क्र. सं	राज्य और केंद्र शासित प्रदेश	व्यक्तिगत लाभार्थी	किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी/ एफपीओ)	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	सहकारी समितियाँ	स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16				16
2	आंध्र प्रदेश	4398				4398
3	अरुणाचल प्रदेश	33		6		39
4	असम	1016				1016
5	बिहार	8876	2	176	3	9057
6	चंडीगढ़	5				5
7	छत्तीसगढ	445		1		446
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5				5
9	दिल्ली	165				165
10	गोवा	57			1	58
11	गुजरात	258			1	259
12	हरियाणा	727				727
13	हिमाचल प्रदेश	1252				1252
14	जम्मू और कश्मीर	471				471
15	झारखंड	996	1	2		999
16	कर्नाटक	3130	7	11	2	3150
17	केरल	1969	3	11	1	1984
18	लद्दाख	52		1		53
19	मध्य प्रदेश	3012	4	2	1	3019
20	महाराष्ट्र	10709	4	93		10806
21	मणिपुर	250				250
22	मेघालय	50				50
23	मिजोरम	15				15
24	नागालैंड	108				108
25	ओडिशा	924	3	116		1043
26	पुदुचेरी	95		1		96
27	पंजाब	1801		1		1802
28	राजस्थान	443	1	3		447
29	सिक्किम	42		3		45
30	तमिलनाडु	8720	7	6	9	8742
31	तेलंगाना	5136				5136
32	त्रिपुरा	90				90
33	उत्तर प्रदेश	6029	2		1	6032
34	उत्तराखंड	501				501
	कुल योग	**61796**	**34**	**433**	**19**	**62282**